***प्रेस नोट*** **02/01/2025**

**02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–**

आज दिनांक 02.01.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान वारण्टी अभियुक्तगण अशोक पुत्र सुधीराम, नन्हे पुत्र सुधीराम निवासीगण कोसिमपोखरी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹40,000 के अर्थदंड से हुया दंडित-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एएसजे/पॉक्सो कोर्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 02-01-2025 को मु0अ0सं0 762/2020 धारा 354 भादवि0 व 7/8 व 11/12 पाक्सो एक्ट थाना मुहम्मदाबाद में दोषसिद्ध अभियुक्त फैजुल हसन पुत्र इरफान निवासी बिलचापुर वलीदपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं ₹40,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रामचन्द्र चौहान, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड प्रताप थाना मुहम्मदाबाद का सराहनीय योगदान रहा।